भाग पांच : खण् ड दो

म.ू. वृक्षों की कटाई का ूितषेध का िविनयम िनयम 2007

अधिसूचना बमांक 2-39-04-सात-शा.-6 िदनांक 26 नवम् बर 2007 मध् यूदेश भू-राजः व संिहता, 1959 (बमांक 20 सन् 1959) की धारा 240 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण् ड (इकसठ) द्वारा ूदत् त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए राज् य सरकार, एतद्द्वारा, िनम् निलिखत िनयम बनाती है, जो उक् त संिहता की धारा 258 की उपधारा 3 द्वारा अपेिक्षत िकए गए अनुसार पूवर् में ूकािशत िकये जा चुके हैं, अथार्त्-

िनयम

1. संिक्षप् त नाम, िवः तार तथा ूारम् भ - (1) इन िनयमों का संिक्षप् त नाम मध् यूदेश वृक्षों की कटाई का ूितषेध या िविनयमन िनयम, 2007 है।

2. कोई वृक्ष -

(क) िकसी जलधारा, झरने या तालाब के िकनारे के अिन्तम कगार से 30 मीटर के भीतर,

(ख) िकसी सड़क या बैलगाड़ी के राः ते के मध् य से 15 मीटर के भीतर तथा िकसी पगडंडी से 6 मीटर के भीतर,

(ग) िकसी पिवऽ ः थान से 30 मीटर की पिरिध के भीतर िकसी उपवन के अन् तगर्त आने वाले क्षेऽ में,

(घ) वन महोत् सव कायर्बम अथवा उसके समान िकसी अन् य योजना के अधीन वृक्षों की ूजाितयों के वृक्षारोपण के अधीन के क्षेऽ में,

(ङ) पड़ाव, कृः तान, या ँमशान ः थल, गोठान, खिलहान बाजार या आबादी के िलए पृथक् रखे गये िकसी क्षेऽ में, या

(च) पहाड़ी तथा 25 िडमी से अिधक ढलान वाले ऊँचे नीचे क्षेऽ पर, कोई वृक्ष न तो काटा जाएगा, न िगराया जाएगा, व उसका तना छीलकर घेरा बनाया जाएगा और नहीं उसे अन् यथा नुकसान पहुँचाया जाएगा।

ः पं टीकरण - खण् ड (क) के ूयोजनों के िलए जलधारा में ऐसी सिरताएँ, निदयाँ, छोटी निदयाँ और नाले सिम्मिलत होंगे िजनमें साधारणतया िदसम् बर के अन् त तक पानी रहता है, िकन् तु मानसून के दौरान पानी के बह िनकलने से बनी छोटी अः थायी नािलयाँ सिम्मिलत नहीं होंगी।

3. ूत् येक माम पंचायत में एक माम पंचायत ः तरीय सिमित होगी। ऐसी माम पंचायत के सामान् य ूशासन सिमित के समः त सदः य और ः थानीय पटवारी ऐसी सिमित के सदः य होंगे। सामान् य ूशासन सिमित का अध् यक्ष ऐसी सिमित का सभापित होगा और ऐसी सिमित का सिचव ऐसी सिमित का सदः य सिचव होगा। 4. िनयम 2 में िविनिदर् ट वृक्ष, माम पंचायत ः तरीय सिमित की अनुशंसा पर तहसीलदार (िजसमें अपर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सिम्मिलत है) की अनुज्ञा के िबना नहीं काटे जाएंगे :

परन् तु वृक्षों के काटे जाने या काटकर िगराये जाने के िलए कोई अनुज्ञा अपेिक्षत नहीं होगी, यिद वृक्षों का काटा जाना या काटकर िगराया जाना, मध् यूदेश लोक वािनकी अिधिनयम, 2001 (बमांक 10 सन् 2001) के अनुसार है।

5. दखलरिहत या शासकीय भूिम पर खड़े वृक्ष कलेक् टर की िलिखत अनुज्ञा के िबना नहीं काटे जाएंगे :

परन् तु माम पंचायत ः तरीय सिमित सम् यक् रूप से बुलाये गये सिम्मिलन में पािरत िकए गये िविधमान् य संकल् प के आधार पर तहसीलदार (िजसमें अपर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सिम्मिलत है) संिहता की धारा 234 के अधीन तैयार िकये गये, िनः तार पऽक के अनसार केवल उस माम के िनवािसयों के वाः तिवक उपयोग के िलए माम में की दखल रिहत भूिम के बबूल ूजाित के वृक्षों को या उनके भाग को काटने या हटाने की िलिखत में अनुज्ञा दे सकेगा।

6. कोई भूिमः वामी, िजसकी भूिम वृक्षों से आच् छािदत है और जो ः थायी खेती करने के िलए अनुपयुक् त है राज् य सरकार की उतनी खेती योग् य भूिम से, जो चालू बाजार दर से लगभग बराबर मूल् य की हो, िविनमय करने के िलए कलेक् टर को आवेदन कर सकेगा :

परन् तु ऐसा िविनमय दोनों पक्षों को अलाभकारी नहीं होगा तथा अन् य व् यिक्तयों पर ऐसे िविनमय का ूितकूल ूभाव नहीं पड़ता हो।

7. (1) जहाँ िकसी राजः व अिधकारी को यह िवँ वास करने का कारण हो िक कोई वृक्ष इन िनयमों के उपबन् धों के उल् लंघन में काटा गया है तो राजः व अिधकारी द्वारा या उसके आदेश के अधीन ऐसे वृक्ष की लकड़ी या कापर् (कारपस) का अिधमहण िकया जा सकेगा।

(2) जहाँ राजः व अिधकारी उपखण् ड अिधकारी से िभन् न कोई अिधकारी है वहाँ ऐसे अिधमहण की िरपोटर्, उसके द्वारा पन् िह िदनों के भीतर, उपखण् ड अिधकारी को ऐसी कारर्वाई के िलए की जाएगी, जैसा िक वह म.ू. भू राजः व संिहता, 1959 (ब. 20 वषर् 59) की धारा 253 के अधीन करना उिचत समझे।

8. (1) वृक्षों की कटाई से ूाप् त वनोपज के पिरवहन हेतु मध् यूदेश अिभवहन (वनोपज) िनयम 2000 लागू होंगे।

(2) अिभवहन में वनोपज का भार साधक कोई व् यिक्त िकसी भी न अिधकारी, राजः व अिधकारी या पुिलस अिधकारी द्वारा, जब कभी उससे ऐसा करने को कहा जावे, उसके ूभार में की वनोपज से सम् बिन्धत पास या पासों को िनरीक्षण हेतु ूः तुत करेगा।

9. म.्. वृक्षों की कटाई का ्ितषेध का िविनयम 2002 एतद् द्वारा िनरः त िकये जाते हैं। परन् तु इस ्कार िनरिसत िनयमों के उपबन् धों के अधीन की गई कोई कायर्वाही या पािरत िकया गया आदेश, इन िनयमों के अधीन की गयी कोई कायर्वाही या पािरत िकया आदेश समझा जावेगा।